

[Authorised English Translation]

HARYANA GOVERNMENT
WILD LIFE PRESERVATION DEPARTMENT

Notification

The 30th January, 1987

No. S.O. 9/C.A. 53/72/S.18/87.—In exercise of the powers conferred by section 18 of the Wild Life (Protection) Act, 1972 (Parliament Act 53 of 1972), the Governor of Haryana hereby declares the areas specified below of Nahar reserve forest to be a wild life sanctuary for the purposes of protecting, propagating and developing wild life and its environment:—

SPECIFICATION

District	Tehsil	Name of Forest	Area in Acres	Class of forest	Boundaries
Rohtak	Kosli	Bih. Sarkar Nahar, H. B. No. 9/1	424	Reserved forest	North: Mauza Jhal South: Mauza Jhal and Nahar. West: Mauza Nahar East: Mauza Jhal.
Rohtak	Kosli	Nahar, H. B. No. 10	98.25	Do	North: Land of Village Kuwahar. South: Land of Village Nahar and Habitation. East: Land of Village Jhal. West: Land of Village Nahar and Path

K. R. PUNIA,

Secretary to Government, Haryana,
Wild Life Preservation Department.

हरियाणा सरकार

वन्य प्राणी परिरक्षण विभाग

अधिसूचना

दिनांक 30 जनवरी, 1987

सं० का० आ० 9/कै० अ० 53/72/घा० 18/87.—वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का संसद अधिनियम, 53) की धारा 18 द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा नीचे विनिर्दिष्ट नाहड़ आरक्षित वन के क्षेत्रों को वन्य प्राणी संरक्षण, प्रचार तथा विकास तथा उनके पर्यावरण के प्रयोजन के लिए वन्य प्राणी विहार के रूप में घोषित करते हैं :—

विशिष्ट					
जिला	तहसील	वन का नाम	क्षेत्रफल एकड़ों में	वन वर्ग	सीमाएं
रोहतक	कोसली	बीड़ सरकार नाहड़, ह० 20 नं० 9/1	424	आरक्षित वन	उत्तर—मौजा झाल दक्षिण—मौजा झाल और नाहड़ पश्चिम—मौजा नाहड़ पूर्व—मौजा झाल
”	”	नाहड़, ह० व० नं० 10	98.25	”	उत्तर—भूमि गांव कुवाहर दक्षिण—भूमि ग्राम नाहड़ तथा आवादी । पूर्व—भूमि ग्राम झाल पश्चिम—भूमि ग्राम नाहड़ तथा राखवा ।

कै० आर० पूनिया,
सचिव, हरियाणा सरकार,
वन्य प्राणी परिरक्षण विभाग ।